न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 50/2019 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2019/00131

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. गुरदीप सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 3 एम.एम. डब्ल्यू.एम, तहसील छत्तरगढ़। हाल निवासी–कनाड़ा जरिये मुख्त्यार आम जगदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, जाति जट सिख, निवासी रामकोट तहसील व जिला फाजिल्का(पंजाब)।

—— अपीलान्ट

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, जाति जट सिख, निवासी–चक 3 एम.एम. डब्ल्यू.एम तहसील–छत्तरगढ़, जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़, जिला–बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट
श्री करणसिंह तंवर
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.04.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 3 एम.एम.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नम्बर 201/53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 कुल 116 मे से 1/2 हिस्सा तादादी 58 बीघा भूमि की वसीयत अपीलार्थी देवेन्द्र सिंह की माता अमरजीत कौर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 17.08.2012 ब्रिटिश कोलम्बिया मे की गई। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ के समक्ष इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया। जिस पर तहसीलदार छत्तरगढ़ ने मौका रिपोर्ट ली, जिसमें यह पाया कि चक 3 एम.एम.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नम्बर 201/53–3.00, बीघा कमाण्ड, 201/54–20.00बीघा क./अ.क., 201/55–16.00बीघा क./अ.क.,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

201/56–01.00बीघा कमाण्ड, 201/61–16.00बीघा क./अ.क., 201/62–25.00 बीघा कमाण्ड, 201/63–21.00बीघा क./अ.क., 201/64–05.00बीघा कमाण्ड, 221/6–08.00 बीघा क./अ.क., तादादी कुल 116 बीघा भूमि मे से देवेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिसरान गुरूदीप सिंह 1/2 हिस्सा, अरणजीत कौर फोगा गुरूदीप सिंह 1/2 हिस्सा नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 13.01.1993 के द्वारा उक्त रकबा रिकार्ड में दर्ज है। तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 भूपेन्द्र सिंह ने उक्त वसीयत प्रकरण में आपत्ति दर्ज करवाने एवं प्रकरण को खारिज कराने हेतु तहसीलदार छतरगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ ने आदेश दिनांक 23.04.2019 द्वारा वसीयत को निरस्त कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट श्री करणसिंह तंवर एवं सुरेश मोहता ने वरवक्त बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 3 एम.एम.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नम्बर 201/53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,68 कुल 116 मे से 1/2 हिस्सा तादादी 58 बीघा भूमि की वसीयत अपीलार्थी देवेन्द्र सिंह की माता अमरजीत कौर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 17.08.2012 ब्रिटिश कोलम्बिया मे की गई। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ के समक्ष इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त वसीयत नियमानुसार सही निष्पादित की गई थी एवं उक्त वसीयत को निष्पादित करते समय वसीयतकर्ता एकदम स्वस्थ एवं सही हालत में थी। वसीयतकर्ता ने गवाहों के समक्ष उक्त वसीयत को निष्पादित किया है। वसीयत का सत्यापन मात्र वसीयत के गवाह ही कर सकते है, न कि रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में पूर्णतया नजनअंदाज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही तरह से अवलोकन न करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए वादगत भूमि अपीलांटस के नाम वसीयतानुसार इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में सिविल कोर्ट के निम्नलिखित कैसेज का हवाला दिया हैं–

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1. सिविल कोर्ट 070 कोलकत्ता 2016(1)पेज संख्या 70
2. सिविल कोर्ट 082 मद्रास 2019(2) पेज संख्या 82
3. सिविल कोर्ट 111 बुम्बई 2019(4) पेज संख्या 111
4. आर.आर.टी. 2019(1) पेज संख्या 184
5. सिविल कोर्ट 502 पंजाब & हरियाणा 2019(2)पेज संख्या 502
6. सिविल कोर्ट 608 पंजाब & हरियाणा 2016 पेज संख्या 608
7. सिविल कोर्ट 356 केरल 2019(2)पेज संख्या 356
8. सिविल कोर्ट 610 पंजाब&हरियाणा 2016(2)पेज संख्या 610
9. सिविल कोर्ट 645 पंजाब&हरियाणा 2016(3)पेज संख्या 645
10. सिविल कोर्ट 721 पंजाब&हरियाणा 2016(4)पेज संख्या 721
11. सिविल कोर्ट 795 पंजाब&हरियाणा 2019(1)पेज संख्या 795
12. सिविल कोर्ट 824 मद्रास 2019(3)पेज संख्या 824

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्री राजेश बैद ने अपली बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि कुल 116 मे से 1/2 हिस्सा तादादी 58 बीघा भूमि अमरजीत कौर के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट उक्त भूमि को एक ऐसी वसीयत जो संदेहपूर्ण है, के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। उक्त वसीयत भारतवर्ष से बाहर ब्रिटिश कॉलम्बिया मे निष्पादित होना बताया गया तथा उस पर भारतीय कानून के अनुसार आवश्यक अर्हताएं भी पूर्ण नहीं है। साथ ही अपीलांट भारतवर्ष का मूल निवासी ना होकर विदेशी नागरिक हैं जिसे राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है। अमरजीत कौर 91 वर्षीय एवं पिछले 25 वर्षो से बीमार थी। जिसके स्वस्थचित स्थिति में उक्त तथाकथित वसीयत निष्पादित नहीं कि गई है जो प्रत्येंक पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न प्रकार के है। उक्त तथाकथित वसीयत धोखे में रखकर, पूर्णतयाः कूटरचित तरीके से प्राप्त की गई है जिससे अपीलांट को किसी भी प्रकार के वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जहां वसीयत संदिग्ध हो तथा सक्षम न्यायालय में सिद्ध किया जाना आवश्यक हो, वहां विरास्तन नामान्तरणकरण ही दर्ज किया जाना चाहिए। यही कानूनी स्थिति है। विरास्तन नामान्तरणकरण को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता। वादगत भूमि पर प्रार्थी की गलत नियत स्पष्ट है। वह अकेले ही माता स्व. अमरजीत कौर का हिस्सा हडप करना चाहता हैं, जबकि प्रार्थी के अलावा मृतका के 8 वैधानिक वारिसान भी है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला वारीसान के पक्ष में है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 23.04.2019 उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में रूलिंग आरआरटी 2003(1) पेज 650 को अवलोकनीय बताया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। अपीलांट की माता अमरजीत कौर के नाम इंतकाल संख्या 11 दिनांक 13.01.1993 के अनुसार कुल 116 बीघा में से 1/2 हिस्सा ही दर्ज है, जबकि वसीयत में 116 एकड़ में से 1/2 हिस्सा उल्लेख है जो भूमि का सही माप नहीं है। वसीयत रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीबद्ध न होकर ब्रिटिश कोलम्बिया के बेरिस्टर द्वारा लिखी गई है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2019 न्यायोचित प्रतीत होता है। हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 में किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2019 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर